उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-122/2019/1944/92-2-19-260W/2000TC

लखनऊ:: दिनांक:: 29 अगस्त 2019

कार्यालय ज्ञाप

श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,प्रखण्ड-वाराणसी के विरूद्ध श्री हरिशंकर यादव,कार्यप्रभारित, कोर्टकेस कर्मचारी को अनियमित रूप से सेवायोजित करने के आरोप में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-5397(2)/62-3-2008/260डब्ल्यू/2000टीसी दि0 27-01-2009 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद के पत्र सं0 -1342/ग्रा0अ0से0/अनु0जांच-वारा0/09-10 दिनांक 15-09-2011 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी के दिनांक 31-01-2009 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध प्रचलित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक जुलाई, 2012 में सी0एस0आर0 के अनुच्देद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.09.2011 द्वारा निम्नवत जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है :-

आरोप संख्या-1

रिट याचिका सं0-4346/एस0एस0/2000 श्री हरिशंकर यादव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-08-2000 के अनुपालन में श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-वाराणसी के कार्यालय आदेश सं0-1994/ग्रा0अ0वि0/कोर्टकेस/2000-01 दि0 03-03-01 के द्वारा श्री हरिशंकर यादव के प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुये प्रकरण निस्तारित कर दिया गया, किन्तु आपके कार्यालय आदेश सं0-761/ग्रा0 अ0से0/वर्कचार्ज कोर्टकेस/2004-05 दि0 12-08-2004 के द्वारा श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी के द्वारा पारित आदेश दि0 03-03-2011 को संशोधित करते हुये श्री हरिशंकर यादव को कार्यप्रभारित कोर्टकेस च0श्रेणी के पद पर पुनिर्योजित करते हुये इस आदेश के जारी होने के उपरांत योगदान करने की तिथि से समकक्ष चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान 2550-3200 का न्यूनतम वेतन रू0 2550/- एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। रिट याचिका सं0-8148/90 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 21-07-1993 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप वर्ष 10/93 से 09/95 के बीच किसी भी कलैण्डर वर्ष में श्री यादव की 240 दिन की सेवा अवधि पूर्ण न होने की दशा में रिट या0सं0-4346/एस0एस0/2000में पारित आदेश दि0 10-08-2000 के अनुपालन में श्री बब्बन तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी के कार्यालय आदेश सं0-690/ग्रा0अ0से0/वर्कचार्ज-कोर्टकेस/2005-06 दि0 23-07-2005 द्वारा श्री यादव की 240 दिन पूर्ण न होने के बावजूद आप द्वारा उन्हें अनियमित एवं अवैध रूप से पुनयोर्जित किया गया, जिसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फलस्वरूप श्री हरिशंकर यादव दि0 13-08-2004 से 02-05-2005 तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत रहे।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

आरोप का यह अंश सत्य है कि तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री बी0बी0 सिंह ने अपने कार्यालय आदेश सं0-1894/ग्रा0अ0से0/कोर्टकेस/दि0 03-03-2001 द्वारा श्री हरिशंकर यादव के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश में श्री सिंह ने स्पष्ट किया था कि ऐसे कर्मी जिन्होने किन्हीं 12 कलैण्डर माहों में अल्प अवधि को छोडकर लगातार 240 दिन की अवधि पूरी कर ली हो, उन्हें निरन्तर सेवा का लाभ देते हुये समकक्ष कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं मंहगाई भत्ता देय होगा। श्री हरिशंकर यादव पुत्र मुनेश्वर यादव के अवधि को अभिलेखों के परीक्षण में किन्हीं 12 कलैण्डर माहों में 240 दिन पूरा न पाये जाने के कारण उनके पत्र को श्री सिंह द्वारा निरस्त कर दिया गया था। साथ ही उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि विशेष याचिका योजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त पत्र के द्वारा आरोपित किया गया है कि पूर्व में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 03-03-2001 को संशोधित करे हुये कार्यप्रभारित चतुर्थ श्रेणी के पद पर पुनर्योजित किया गया। उक्त के प्रतिउत्तर में निवेदन करना है कि श्री हरिशंकर यादव के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दि0 30-06-2014 को प्रस्तुत किया गया कि उन्होने 240 दिन की सेवा अवधि पूरी की है तथा उल्लिखित किया गया कि दि0 01-10-1993 से 30-09-1993 तक कार्यरत रहे तथा भुगतान प्राप्त किये लेकिन गलत मंशा के कारण उनके कार्यावधि की गणना मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के लाभ से वंचित करने के उददेश्य से उनके स्थान पर कार्यवधि छोडकर गणनाकी गयी। यह भी उल्लेख किया गया कि इसके पूर्व भी 27-09-2001 को कोर्ट द्वारा तथा 30-04-2004 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भी नोटिस भेजा गया। उसी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि तथ्य उजागर करें अन्यथा कन्टैप्ट करना पडेगा एवं समुचित उत्तर की अपेक्षा की गयी।

श्री बी0बी0 सिंह के आदेश दिनांक 03-03-2001 के द्वारा प्रकरण में विशेष याचिका योजित करने हेतु लिखा गया किन्तु अभिलेखों से स्पष्ट है कि याचिका योजित नही की गयी। फलस्वरूप श्री यादव के प्रार्थना पत्र दि0 30-06-2004 पर कन्टैम्पट न होने पाये, को दृष्टिगत रखे हुये सम्यक जांच एवं कार्यवाही आवश्यक समझी गयी थी। तदनुसार परीक्षण के कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस कार्यालय के पत्र दि0 16-7-2004 द्वारा दि0 01-03-1993 से 30-09-1993 तक अवर अभियंता के मस्टर रोलों की जांच एवं परीक्षण/सत्यापन का कार्य तत्का0 सहायक अभियंता को सौंपा गया क्योंकि उसी अवर अभियंता द्वारा मस्टररोल तैयार किये गये थे एवं भुगतान किये गये थे तथा हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये थे।

अवर अभियंता की रिर्पोट दि0 29-07-2004 को प्राप्त हुई, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि मस्टर रोल सं0-3681, 3675, 3677, 3683, 3689, 5432 एवं 5969 श्री हरिशंकर या हरिशंकर यादव के नाम से मस्टर रोल बनाये गये हैं तथा जिस पर प्राप्त कर्ता के रूप में हरिशंकर यादव के हस्ताक्षरहै, जो मेरी जानकारी के अनुसार श्री हरिशंकर यादव पुत्र मुनेश्वर यादव के ही है तथा भरे गये मस्टर रोल इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उक्त परीक्षण आख्या तथा प्रखण्ड में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी गणना निम्न प्रकार पायी गयी :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम संख्या	माह/वर्ष	दिवस
1	3/1993	30 दिन
2	4/1993	30 दिन
3	5/1993	30 दिन
4	6/1993	30 दिन
5	7/1993	30 दिन
6	8/1993	30 दिन
7	9/1993	30 दिन
8	10/1993	30 दिन
9	11/1993	30 दिन
10	12/I993	30 दिन
योग		**299 दिन**

इस प्रकार यह पाया गया कि श्री हरिशंकर यादव ने 12 कैलेण्डर माहों में 240 दिन पूर्ण किये हैं। अतएव प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दि0 30-06-2004, शपथपत्र दि0 02-08-04 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 10-08-2000 के आलोक में श्री हरिशंकर यादव को पत्र दि0 12-08-2004 द्वारा 12 कैलेण्डर माहों में 240 दिन से अधिक कार्यरत रहने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी जो कि श्री हरेन्द्र सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता के कार्यालय आदेश दि0 14-08-2006 से भी पुष्टि होती है।

आरोप संख्या-1 के अनुसार श्री बब्बन तिवारी, अधिशासी अभियंता ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 23-07-2005 के द्वारा श्री यादव की सेवा समाप्त कर दी गयी थी, के संबंध् में मुझे कुछ नही करना है क्योंकि वह आदेश मेरे कार्यकाल के बाद का है लेकिन यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री बब्बन तिवारी, अधिशासी अभियंता के कार्यकाल के पश्चात तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री हरेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय आदेश दि0 14-08-2006 के द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करते हुये दि0 01-03-1993 से 30-09-1993 तक 240 दिन से अधिक कार्य करने की पुष्टि हुयी। तत्पश्चात श्री हरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक14-08-2006 द्वारा श्री यादवको पुनर्योजित किया गया।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या</u>

उक्त आरोप के अंतर्गत अपचारी अधिकारी को श्री हरिशंकर यादव, कार्यप्रभारित कोर्टकेस चतुर्थ श्रेणी को किसी भी कलैण्डर वर्ष में 240 दिन सेवा पूर्ण न होने के बावजूद उसे अनियमित एवं अवैध रूप से पुनर्योजित किये जाने हेतु आरोपित किया गया है। उक्त आरोप के संदर्भ में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में स्पष्ट किया है कि श्री हरिशंकर यादव का प्रार्थना पत्र दि0 30-06-2004 प्राप्त हुआ था जिसमें 240 दिन की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने का उल्लेख करते हुये गलत मंशा के कारण उसके कार्यावधि की गणना मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के लाभो से वंचित करने के उददेश्य से उसके कार्यावधि को छोडकर की गयी। प्रकरण के संबंध में दो बार नोटिस देने की बात कहते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथ्य उजागर करने की मांग करते हुये कन्टैप्ट करने हेतु भी लिखा गया। कनटैप्ट न होने पाये, को दृष्टिगत रखते हुये अपचारी अधिकारी द्वारा श्री यादव की कार्यावधि की गणना हेतु मस्टर रोलों को सौपा गया व आख्या/रिपोर्ट चाही गयी। अपचारी अधिकारी को प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मस्टर रोल सं0-3681 , 3675, 3683, 5432 एवं 5969 श्री हरिशंकर या श्री हरिशंकार यादव, के नाम से बनाये गये हैं जिस पर भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में श्री हरिशंकर यादव के हस्ताक्षर है। अवर अभियंता ने रिपोर्ट में लिखा है कि श्री हरिशंकर यादव, पुत्र श्री मुनेश्वर यादव के ही हस्ताक्षर रिपोर्ट में होने के पशचात अपचारी अधिकारी द्वारा कार्यावधि 3/93 से 12/93 तक 299 दिन की आंकलित की गयी। उपरोक्तानुसार सत्यापन/परीक्षण के उपरांत अपचारी अधिकारी ने श्री यादव के प्रार्थना पत्र दि0 30-06-2004, शपथ पत्र दि0 02-08-04 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 10-08-2000 के आलोक में श्री हरिशंकर यादव को पत्रांक-761 दि0 12'08-2004 द्वारा कार्यावधि सत्यापित हो जाने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता दिये जाने के अनुमति प्रदान की गयी। उक्तानुसार अपचारी अधिकारी का कथन औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 10-08-2000 की अवमानना (कन्टैप्ट) को दृष्टिगत रखते हुये श्री यादव के कार्यावधि का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता के आदेश दि0 03-03-2001 को संशोधित किया गया। श्री बी0बी0 सिंह, अधिशासी अभियंता के उक्त आदेश में विशेष याचिका योजित करने की बात कही गयी है, जिसके संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में कहा है, कि उक्त विशेष याचिका योजित नहीं हुई। अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में यह भी अंकित किया गया कि तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री हरेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय आदेश सं0-872 दिनाक 14-08-2006 के द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार करते हुये दिनांक 01-03-1993 से 30-09-1993 तक 240 दिन से अधिक कार्य करने की पुष्टि के पश्चात श्री यादव को पुनर्योजित किया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा करायी गयी कार्यावधि की गणना एवं उसके पश्चात श्री हरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता द्वारा की गयी गणना के अनुसार श्री हरिशंकर यादव की कार्यावधि 240 दिन से अधिक कार्य करने की पुष्टि होने के फलस्वरूप उसे पुन: योजित किया जाना मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-08-2000 में पारित आदेश के अंतर्गत है। इस प्रकार श्री हरिशंकर यादव पुत्र मुनेश्वर यादव को पुनर्योजित किये जाने हेतु अपचारी अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के दृष्टिगत उत्तरदायी प्रतीत नही होते है। अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर के साथ समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है जिसके परीक्षण के उपरांत बचाव उत्तर औचित्यपूर्ण पाये जाने के फलस्वरूप अपचारी अधिकारी के ऊपर श्री हरिशंकर यादव को अनियमित एवं अवैध रूप से पुनर्योजित किये जाने का आरोप स्थापित नही होता है।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष</u>

_उपरोक्तानुसार आरोप सं0-1 अपचारी अधिकारी के ऊपर स्थापित नही होता है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

आप द्वारा अनियमित रूप से बिना तथ्यों की छानबीन किये श्री हरिशंकर यादव को अनियमित एवं अवैध रूप से दि0 13-08-2004 को चौकीदार के पद पर पुनर्योजित किया गया तथा वह दि0 02-05-2005 तक चतुर्थ श्रेणी के पर पर अवैध रूप से कार्यरत रहे जिसके फलस्वरूप उन्हें दि0 13-08-2004 से दि0 30-04-2005 तक धनराशि रू0 21,632.00 को वेतन भुगतान की विधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बाध्यता उत्पन्न हुई। आपके द्वारा अनियमित रूप से नियुक्ति प्रदान कर धनराशि रू0 21,362.00 की शासकीय क्षति पहुंचाने हेतु आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

आरोप सं0-2 में आरोपित किया जाता है कि बिना तथ्यों की छानबीन किये गये अवैध रूप से दिनांक 13-08-2004 को चौकीदार के पद पर पुनर्योजित किया गया और वह 02-05-2005 तक अवैध रूप से कार्यरत रहे।

यह तथ्यहीन एवं निराधार है क्योंकि आरोप संख्या-1 के प्रतिउत्तर में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण की महत्ता को देखते हुये एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन करने हेतु (क्योकि विशेष याचिका योजित न हुयी थी) तथ्य को गम्भीरता से छानबीन करने के पश्चात ही उन्हें पुनर्योजित किया गया। इसकी पुष्टि श्री हरेन्द्र सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता के आदेश दि0 14-08-2004 से स्पष्ट है कि श्री यादव वर्ष 1993 में 240 दिन से अधिक की कार्यावधि पूर्ण की है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या

उक्त आरोप द्वारा अपचारी अधिकारी को अनियमित रूप से नियुक्ति प्रदान कर धनराशि रू0 21,362.00 की शासकीय क्षति हेतु आरोपित किया गया है। उक्त के संदर्भ में अपचारी अधिकारी ने आरोप सं0-1 के प्रतिउत्तर का उल्लेख करते हुये लिखा है कि प्रकरण की महत्ता को देखते हुये मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन करने हेतु (क्योकि विशेष याचिका योजित नहीं हुई थी) तथ्यों को गम्भीरता से छानबीन करने के पश्चात ही पुनर्योजित किया गया। अपचारी अधिकारी का उक्त कथन आरोप सं0-1 के प्रतिउत्तर की भांति है, अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व उसके साथ संलग्न किये गये साक्ष्य तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-08-2000 की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो एवं विशेष अनुज्ञा याचिका योजित न होने को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण छानबीन के उपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री हरेन्द्र सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा पारित पुनर्योजित किये जाने संबंधी आदेश को अनियमित व अवैध नहीं पाया गया है। अत: उक्त अनियमित व अवैध पुर्नयोजित किये जाने के प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु अपचारी अधिकारी उत्तरदायी नही है।

जांच अधिकारी का निष्कर्ष

उपरेक्तानुसार आरोप सं0-2 अपचारी अधिकारी पर स्थापित नही होता है।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-इलाहाबाद की जांच आख्या दिनांक 15.09.2011 में अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी पर कोई भी आरोप स्थापित नही पाये गये, परन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-वाराणसी द्वारा श्री हरिशंकर यादव वर्कचार्ज, चतुर्थ श्रेणी,कोर्टकेस कर्मी की सेवाओं को एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन का न पाये जाने के आधार पर प्रकरण को अपने आदेश दिनांक 03.03.2001 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.08.2002 के अनुपालन में निस्तारित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दि0 10.08.2002 के क्रम में याची श्री हरिशंकर यादव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना वाद सं0-2037(सी)/2000 में तदनुसार दि0 25.04.2001 को प्रति शपथ पत्र दाखिल किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2002 द्वारा प्रश्नगत अवमानना वाद को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण का कटाक्षेप हो गया, किन्तु 20 माह के अंतराल पर बिना किसी न्यायालय के आदेश की बाध्यता श्री हरिशंकर यादव के आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2004 के क्रम में उनके मस्टर रोल जिसे पुन: सत्यापित कराये जाने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवश्यकता नही थी। श्री जे0एन0 तिवारी, अधिशासी अभियंता ने श्री हरिशंकर यादव के मस्टर रोल को पुन: सत्यापित करते हुये उनकी सेवाओं को 240 दिन से अधिक होने के आधार पर आदेश दिनांक 12.08.2004 द्वारा उन्हें कार्यप्रभारित कर्मचारी के रूप में नियमित एवं अविधिक रूप से पुनर्योजित किया गया। उक्त अनियमित पुर्नयोजन के कारण ही श्री यादव, कार्यप्रभारित कर्मी के वेतन भुगतान किये जाने की बाध्यता उत्पन्न हुई। आरोप पत्र के अनुसार उनके इस कृत्य से रू0 21,360.00 की शासकीय क्षति कारित होना परिलक्षित हुआ। उक्त अनियमितता एवं शासकीय क्षति के सबंध में शासन के पत्र सं0-892/92-2-17-260डब्ल्यू0/2000टीसी दिनांक 31.07.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी का अभ्यावेदन मांगा।

4- अपचारी अधिकारी, श्री तिवारी द्वारा अपना बचाव उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 13.09.2017 द्वारा प्रखण्ड-वाराणसी से कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी। श्री तिवारी के पत्र दिनांक 13.09.2017 द्वारा मांगा गया अभिलेख आरोप पत्र का संलग्नक है, जिसे श्री तिवारी द्वारा जांच अधिकारी को दिये गये बचाव उत्तर में संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि श्री तिवारी द्वारा अपने अभ्यावेदन का बचाव उत्तर जान बूझकर न देते हुये अनावश्यक टाल मटोल किया जा रहा है फिर भी अभ्यावेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में शासन के पत्र सं0-248/92-2-18-260डब्ल्यू0/2000टीसी, दिनांक 31.01.2018 द्वारा पुन: अनुस्मरण कराते हुये अभ्यावेदन मांगा गया, परन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में श्री हरिशंकर यादव,वर्कचार्ज चतुर्थ श्रेणी, कोर्टकेस कर्मी की अनियमित नियुक्ति से कारित शासकीय क्षति रू0 21,360.00 हेतु उत्तरदायी श्री जे0एन0 तिवारी,तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त से उक्त धनराशि की वसूली उनके पेंशन से करते हुये उनके विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने के अनन्तिम विनिश्चित दण्ड पर शासन के पत्र सं0-1281/92-2-18-2603ब्ल्यू0/2000टीसी, दिनांक 21.05.2018 द्वारा लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-18/04/एडीसी/एस-12/18-19, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निम्नवत शासन में उपलब्ध करायी गयी :-

"शासकीय क्षति रू0 21,360.00 हेतु उत्तरदायी श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, (से0नि0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी से उक्त धनराशि की वसूली उनके पेंशन से कर ली जाय।"

5- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के आलोक में लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के क्रम में श्री हरिशंकर यादव, वर्कचार्ज चतुर्थ श्रेणी, कोर्टकेस कर्मी को अनियमित ढंग से नियुक्त किये जाने के कारित शासकीय क्षति रू0 21,360.00 की वसूली श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त के सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किये जाने के दण्ड के साथ उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.01.2009 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल की ओर से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-122/2019/1944(1)/92-2-2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

2- उपसचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 को उनके पत्र सं0-18/04/एडीसी/एस-12/18-19 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में।

3- श्री जे0एन0 तिवारी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।